न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठसीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 141/2019 वाद

उंकारलाल पिता नारू गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी रावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– वादी

//बनाम//

1. गोरीलाल माता गीता पुत्र किशनलाल गुर्जर, निवासी ठुकरवा, तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
2. सेना बाई माता गीता पुत्र किशनलाल गुर्जर, निवासी ठुकरवा, तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
3. मुन्ना बाई माता गीता पुत्री किशनलाल गुर्जर, निवासी ठुकरवा, तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
4. सोहनी बाई पत्नी नारू गुर्जर, निवासी रावलिया।
5. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
6. उपपंजीयक, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0अधि0
श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता वादी उपस्थित
श्री नाहर सिंह छाजेड़, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3

निर्णय दिनांक 02.12.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा रावलिया की खाता संख्या 15 की आराजी नं. 382, 383, 434 कुल किता 3 कुल रकबा 3.4900 हैक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि वादी, वादी की बहिन गीता बाई व वादी की माता प्रतिवादी संख्या 4 की संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की चली आ रही है। इसमें वादी, गीता व सोहनी बाई का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। वादी की बहिन गीता बाई जो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की माता है, ने अपने जीवनकाल में वादी की सेवा चाकरी से खुश होकर वादी के पक्ष में दिनांक 03.05. 2014 को रूबरू गवाहान एक वसीयत निष्पादित कर दी थी तथा उक्त भूमि में से अपना समस्त हक अधिकार वादी को दे दिया था। गीता का देहान्त अभी हाल ही में दिनांक 26.03.2016 को हो गया है तथा वादी जरिये वसीयत वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का गीता की वसीयत के

आधार पर वादग्रस्त आराजीयात में वादी का नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये तथा समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहे हैं इसलिए मजबुरन वादी को यह दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। इसलिए वादी वादग्रस्त आराजीयात में गीता बाई के दर्ज 1/2 हिस्से में से 1/3 अर्थात 1/6 हिस्सा अपने नाम घोषित कराने का तथा गीता बाई का नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का विवादित भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण से गीता बाई का हिस्सा अपने नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये तथा वादी के शांतिपूर्ण आधिपत्य में दखलअन्दाजी करने लगे। वादग्रस्त भूमि में येन केन प्रकारेण अपना नाम दर्ज करा भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमदा हैं इसलिए मजबुरन वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि में गीता बाई के 1/6 हिस्से को वादी की खातेदारी का घोषित किया जावे, गीता बाई का नाम रेकार्ड से विलोपित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा ईकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया और राजीनामा प्रस्तुत करते हुए वादी का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अधिवक्ता वादी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के विरूद्ध वाद विद्ड्रा कर लिया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया।

वादी की ओर से पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 ग्राम रावलिया की खाता संख्या 15 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-1, गीता बाई द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत दिनांक 03.05.2014 की छायाप्रति, गीता बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 26.03.2016 प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में सागरमल पिता नारायणलाल गुजर, वादी उंकारलाल पिता नारू गुर्जर तथा बगदीराम पिता भूरा गुजर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व बयान करवाये हैं। वादी के अतिरिक्त न्यायालय में उपस्थित हुए दोनों गवाह वसीयत के भी गवाह हैं जिन्होंनें वसीयत की ताईद की है। वसीयत के माध्यम से गीता बाई ने अपने हक हिस्से को वादी के पक्ष में वसीयत किया है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मौजा रावलिया की खाता संख्या 15 की आराजी नं. 382, 383, 434 कुल किता 3 कुल रकबा 3.4900 हैक्टेयर भूमि का 1/2 हिस्सा उंकारलाल, गीता बाई व सोहनी बाई के नाम दर्ज रेकार्ड है। शेष 1/2 हक हिस्सा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज है। गीता बाई के वारिसान ने न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है तथा वादी के कथनों को स्वीकार करते हुए वसीयत के आधार पर गीता बाई का हिस्सा वादी के नाम दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है। वसीयतनामें एवं राजीनामें के आधार पर वादी का दावा डिक्री योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा रावलिया की खाता संख्या 15 की आराजी नं. 382, 383, 434 कुल किता 3 कुल रकबा 3.4900 हैक्टेयर भूमि में गीता बाई पिता नारू गुर्जर के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा वादी की खातेदारी का घोषित किया जाता है। शेष यथावत रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 02.12.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 141/2019 वाद

उंकारलाल पिता नारू गुर्जर, आयु वयस्क, निवासी रावलिया, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– वादी

//बनाम//

1. गोरीलाल माता गीता पुत्र किशनलाल गुर्जर, निवासी ठुकरवा, तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
2. सेना बाई माता गीता पुत्र किशनलाल गुर्जर, निवासी ठुकरवा, तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
3. मुन्ना बाई माता गीता पुत्री किशनलाल गुर्जर, निवासी ठुकरवा, तहसील व जिला चित्तौडगढ़।
4. सोहनी बाई पत्नी नारू गुर्जर, निवासी रावलिया।
5. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
6. उपपंजीयक, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0अधि0

इस वाद में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री नाहर सिंह छाजेड़ की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली प्रस्तुत होने पर निर्णय दिया जाता है कि वाद वादी राजीनामें अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा रावलिया की खाता संख्या 15 की आराजी नं. 382, 383, 434 कुल किता 3 कुल रकबा 3.4900 हैक्टेयर भूमि में गीता बाई पिता नारू गुर्जर के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा वादी की खातेदारी का घोषित किया जाता है। शेष यथावत रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आज दिनांक 02.12.2019 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा सहित जारी किया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 13:39:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: